उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार–249404

वेबसाइट–www.ukpsc.gov.in

☎ 01334-244143
01334-244282(F)

विज्ञापन संख्या–A-1/S-1/2021 दिनांक 15 फरवरी, 2021

मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा–2021

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	15 फरवरी, 2021
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	::	08 मार्च, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क –Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	::	08 मार्च, 2021(रात्रि 11:59:59 बजे तक)
प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	::	23 मार्च, 2021(सायं 6:00 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अवश्य करें। ऑनलाइन आवेदन–पत्र में आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र, ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

2. **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 08 मार्च, 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।** अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। **विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।**

3. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन–पत्र को सही–सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति आयोग कार्यालय में प्रेषित करने से पूर्व **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019** जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का अवश्य अवलोकन कर लें। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के स्वहस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट, आवेदन में किये गये दावे के सापेक्ष समस्त अभिलेख, जो स्वहस्ताक्षरित हो, लिफाफे में रख कर **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** को रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर अथवा आयोग कार्यालय के किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर निर्धारित तिथि तक जमा कराना सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर परीक्षा के नाम का अंकन अवश्य करें।

5. फर्जी प्रमाण–पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

6. आयोग में ऑनलाइन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन–पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. प्रश्नगत् परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं ऑनलाइन शुल्क **[Net Banking/Debit Card/Credit Card]** के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

8. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ही "Online Application" की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

9. अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदित इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन निरस्त (cancel) कर, पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन निरस्त (cancel) करने पर निरस्त किये जाने वाले आवेदन के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा और नवीन आवेदन पत्र के सापेक्ष समायोजित भी नहीं किया जायेगा।

10. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए, अन्तिम तिथि से पूर्व ही अपना आवेदन–पत्र भर लें।

11. प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष मानक से अधिक संख्या में आवेदन–पत्र प्राप्त होने की दशा में छंटनी हेतु साक्षात्कार से पूर्व हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार नगर) के परीक्षा केन्द्रों पर स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित किये जाने की दशा में स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–1** पर उपलब्ध है।

12. स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होने की दशा में अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना तथा साक्षात्कार से पूर्व साक्षात्कार की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** तथा दैनिक समाचार–पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जाएगी।

13. प्रश्नगत परीक्षा में श्रेणीवार/उपश्रेणीवार साक्षात्कार परीक्षा के न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के **परिशिष्ट–2** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

14. अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, स्थाई–निवास, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि से संबंधित **परिशिष्ट–3** में उल्लिखित सूची के अनुसार समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों/अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने अभिलेख निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं कराए जाते

हैं तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अर्हता पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक विभाग की किसी भी देरी के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं।

01. रिक्तियों का विवरण : कुल पद– 04

क्र. सं.	श्रेणी	पद	उपश्रेणी				
			उत्तराखण्ड महिला	पूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित	दिव्यांगजन	अनाथ बच्चे
1	अनारक्षित	03	–	–	–	–	–
2	अनुसूचित जाति	01	–	–	–	–	
3	अनुसूचित जनजाति	–	–	–	–	–	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–	–	–	–	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	–	–	–	–	–	
कुल		04	00	00	00	00	00

नोटः– 1. रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा़ सकती है।

2. प्रश्नगत पद दिव्यांगता की किसी भी उपश्रेणी हेतु चिह्नांकित नहीं है।

02. अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएंः–

अनिवार्य शैक्षिक अर्हता –

नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर से फायर इंजीनियरिंग में 03 वर्ष की उपाधि या सदृश प्रास्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई समकक्ष उपाधि।

या

नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर से डिवीजनल आफिसर्स कोर्स या सदृश प्रास्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम।

अधिमानी अर्हता –

(एक) मोटर गाड़ियों (आटोमोबाइल) की मरम्मत करने का ज्ञान।

(दो) व्यावहारिक दृष्टि से अग्निशमन और भयंकर अग्नि काण्ड पर काबू पाने का अनुभव।

नोटः– उपरोक्त अधिमानी अर्हताओं के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र परिशिष्ट–4 पर संलग्न किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त अधिमानी अर्हता बिन्दु (एक) एवं (दो) के संबंध में परिशिष्ट–4 में उल्लिखित संस्था/संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, इन से अलग अन्य किसी संस्था/संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जाएगा।

अधिमानी अर्हता – अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने –

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

03. न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड :–मुख्य अग्निशमन अधिकारी हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए निम्नवत् शारीरिक अर्हताएं अपेक्षित हैं :–

(क) ऊंचाई :–

वर्ग	पुरूष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
सामान्य वर्ग व अन्य वर्ग	167.7 से0मी0	152 से0मी0
अनुसूचित जनजाति	160 से0मी0	147 से0मी0
पर्वतीय क्षेत्र	162.6 से0मी0	147 से0मी0

(ख) सीने की माप (केवल पुरूष अभ्यर्थियों हेतु) :–

वर्ग	बिना फुलाये	फुलाने पर
अनुसूचित जाति व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी	76.5 से0मी0	81.5 से0मी0
सामान्य व अन्य अभ्यर्थी	78.8 से0मी0	83.8 से0मी0

नोटः– ऊँचाई तथा सीने की माप में छूट हेतु दावा किये जाने की दशा में अभ्यर्थियों को परिशिष्ट–5 के अनुसार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ग) शारीरिक वजन (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए) :– न्यूनतम 45 कि0ग्रा0।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की एक आँख की दृष्टि 6/6 व दूसरी आँख की 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। अतः बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दायीं आँख की दृष्टि 6/6 और बाँये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बायीं आँख की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए और वर्णांधता/भैंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए।

अभ्यर्थी का सटा घुटना, सपाट पैर, बो लैग, वैरिकोस वेन, हकलाना, दिव्यांगता और अन्य विकृतियों व अन्य समस्याएं, जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, को अयोग्य माना जायेगा।

उक्त सम्बन्ध में चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित प्रतिवेदन में अभ्यर्थी को उपयुक्त होने का प्रमाण दिये जाने पर अभ्यर्थी को अन्तिम रूप से मुख्य अग्निशमन अधिकारी पद पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

04. वेतनमानः– ` 56,100–1,77,500/– मेट्रिक लेवल–10।

05. पद का स्वरूप व पेंशन योजनाः– राजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

06. आयु सीमा :–(1) आयु सीमा 23 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जनवरी, 2021 है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जनवरी, 1998 के पश्चात् व 02 जनवरी, 1979 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(2) उच्चतम आयु सीमा में छूट :– विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

07. राष्ट्रीयता : मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक , गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले ;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जब कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

08. चरित्र :–मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

09. वैवाहिक प्रास्थिति :–मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो;

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

10. शारीरिक स्वस्थता :–किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना न हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिष्द द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय। **परीक्षा के विनियम व शारीरिक मानदण्ड वही होंगे जो उत्तराखण्ड पुलिस सेवा में सीधी भर्ती पर लागू होते हैं।**

11. आरक्षण :–(क) उर्ध्वाधर / क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्वाधर / क्षैतिज श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(ख) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 29 / XXXVI(3) / 2019 / 03(1) / 2019 दिनांक 05.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित श्रेणी (सामान्य श्रेणी) के अंतर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।

(घ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या–124/XXX(2)/2020–53(01)/2001 दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर–8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease" का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व तक आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

(च) यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(छ) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के **"परिशिष्ट–6"** में मुद्रित निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक अन्य सभी शैक्षणिक अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख **"परिशिष्ट–6"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(ज) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

(झ) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

(ञ) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 415/XXX(2)2019-30(2)/2019, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

12. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जायें।

(2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात https://ukpsc.net.in पर जाकर MenuBar में How to Apply लिंक पर क्लिक करें। How to Apply page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात Apply Now बटन पर क्लिक करें।

(3) Apply Now पर क्लिक करने के पश्चात् Registration फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर Login हेतु Password बनाकर Continue पर क्लिक करें। Continue पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक् परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर Tick कर Submit पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर Tick कर Edit Data पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः Registration फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(4) Submit पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं RegisteredMobile No एवं Email पर Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।

(5) Login करने के पश्चात Educational Details पर क्लिक कर Educational Qualifications के अन्तर्गत सर्वप्रथम High School का विवरण भरें एवं Add Education Details पर क्लिक करें, भरा गया विवरण Add Education Details के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। इसी तरह Intermediate, Graduation, Post Gradudation व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। एक से अधिक Graduation/Post Gradudation को भरने की स्थिति में भी यही प्रक्रिया अपनाएं। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर Submit पर क्लिक करें। तत्पश्चात Upload Images पर क्लिक कर Photo, Signature को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। Photo, Signature अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को Tick करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु Click here to Make Payment पर क्लिक करें। I Agree पर Tick करने के पश्चात Pay Now पर क्लिक कर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् Print Application Form पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन–पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(6) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द **(Cancel)** कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। किन्तु इस दशा में रद्द किये गये आवेदन पत्र का जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन रद्द **(Cancel)** करने के लिये Cancel My Application बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात घोषणा को Tick कर Proceed to Cancel बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु Back बटन पर क्लिक करें। Proceed to Cancel पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसको कि Enter OTP वाली फील्ड्स पर दर्ज कर Cancel Applicationl बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द **(Cancel)** करने के पश्चात उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट : 1. **आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व** अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी Email-Id/Mobile Number एवं Password के माध्यम से Login करने के पश्चात् Update Personal Information पर क्लिक कर, Personal Information ,Update Educational Information पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं Reload Images पर

क्लिक कर, Photo, Signature एवं Documents को पुनः अपलोड कर सकते हैं। **ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाइल न0 को Edit/Update नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी** ukpschelpline@gmail.com **पर ई–मेल कर सकते हैं।**

2. **आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात्** आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

3. परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। **(उक्त परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित प्रत्येक पद हेतु 26.55 रूपये है।)**

4. उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। परन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में डाटा भरने के बाद Click here for Final Submission पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

13. शुल्क :–प्रश्नगत् परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र.सं. (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन–शुल्क (Aplication Fee)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fee with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रू0 100/–	रू0 26.55/–	रू0 126.55/–
02	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 60/–	रू0 26.55/–	रू0 86.55/–
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 60/–	रू0 26.55/–	रू0 86.55/–
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	रू0 60/–	रू0 26.55/–	रू0 86.55/–
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	रू0 60/–	रू0 26.55/–	रू0 86.55/–
06.	पूर्व सैनिक अभ्यर्थी	रू0 60/–	रू0 26.55/–	रू0 86.55/–
07.	राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	–

नोट :– उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा–अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

14. अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार/स्क्रीनिंग परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 यथा संशोधित प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014, तृतीय संशोधन–2015 एवं चतुर्थ संशोधन–2016 आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(03) ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे। **आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है** तथा जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं :–

(i) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(ii) अधिमानी अर्हता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iii) यदि आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iv) यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(v) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसे सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि स्क्रीनिंग/साक्षात्कार परीक्षा के पूर्व/तत्समय आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु साक्षात्कार के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के माध्यम से साक्षात्कार हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों का आयोग द्वारा साक्षात्कार पूर्व सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(05) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी।

(06) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत **'अनापत्ति प्रमाण–पत्र'** अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(07) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार/स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए बुलाये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। स्क्रीनिंग परीक्षा की दशा में एक सामान्य ज्ञान आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(08) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार) के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।

(09) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड –** वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा –

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(10) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त् प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो आयोग द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त् विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(11) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(13) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित** – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(14) **परीक्षा केन्द्र में आचरण** – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर–पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(15) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)** – सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(16) स्क्रीनिंग परीक्षा (यदि आयोजित होती है तो) में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक, अंतिम चयन परिणाम में साक्षात्कार के अंकों के साथ नही जोड़े जायेगे तथा अंतिम चयन परिणाम मात्र साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियमानुसार (आरक्षण आदि का लाभ देते हुए) घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार का परिणाम आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

(17) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को ही मेरिट लिस्ट हेतु विचार किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंकों का विवरण **परिशिष्ट–2** पर उल्लिखित है।

(18) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(19) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(20) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश–पत्र/साक्षात्कार ज्ञाप जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(21) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(22) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन–पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा एवं आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/ Credit Card के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(23) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** यथा संशोधित –2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(24) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः–** अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(25) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगाः–1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी

महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्व उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(26) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(27) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(28) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(29) अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(30) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा।

(31) अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(32) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड

शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

Sd/-
(कर्मेन्द्र सिंह)
सचिव।

"परिशिष्ट–1"

1/7

(समूह 'ख') के पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

"सामान्य अध्ययन"

समयः 2 घण्टे
प्रश्नों की संख्या :150
पूर्णांक : 150

नोट– प्राश्निक से अपेक्षा की जाती है कि प्रश्न पत्र संरचना सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर करें।

खण्ड–1 सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या : 70
पूर्णांक : 70

1. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सम–सामयिक घटनाएं
2. खेल एवं मनोरंजन
3. भारत का इतिहास (प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक)
4. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
5. भारत एव विश्व भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं कृषि
6. प्राकृतिक संसाधन, नियोजन, सतत एवं समावेशी विकास
7. प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबन्धन
8. भारत में मानव संसाधन विकास सूचकांक
9. भारतीय संविधान का प्राथमिक ज्ञान–भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, **संघीय कार्यपालिका**–राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, **संघीय व्यवस्थापिका**– संसद, **न्यायपालिका** –सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, **राज्य सरकार तथा प्रशासन** – राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधान सभा, पंचायती राज संस्थाए।
10. **मानवाधिकार** –मानवाधिकार का अर्थ, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणाएं (1948), भारत में मानवाधिकार तथा कर्तव्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
11. **ग्रामीण एवं नगरीय विकास के विभिन्न आयाम।**
12. **सामान्य विज्ञान**–दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता।
13. **विकास एवं पर्यावरणीय समस्याएं**–विकास से जुड़ी हुई मुख्य समस्याएं, जनसख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, ग्रीन हाऊस गैसों का विसर्जन, इन समस्याओं से बचने के उपाय;पर्यावरण संरक्षण कानून।
14. **जैव–प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे** –जैव प्रौद्योगिकी, नये रोग रोधक टीकों का विकास, आनुवांशिक रूप से विकसित पौधे, मनुष्य के कटे तथा निर्जीव अंगों का पुनर्विकास, बैक्टीरिया द्वारा प्रदूषण की रोकथाम, जैविक ईंधन।
15. **भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास** –

(अ) **ऊर्जा एवं जल संसाधन** – ऊर्जा की समस्याएं, ऊर्जा संरक्षण, परम्परागत ऊर्जा स्रोत, नवकरणीय ऊर्जा, भारतीय जल संसाधनों के प्रकार, उपयोग तथा प्रबन्धन।

(K. R. Arya) Member

प्रो० मंजुला राणा
सदस्य

(डॉ० डी०पी० जोशी)
अध्यक्ष

अतर सिंह
उप सचिव
कार्मिक विभाग

(ब) **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटर** –सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का भारत के परिप्रेक्ष्य में विकास, उपयोगिता तथा दुष्परिणाम। कम्प्यूटर के मूलभूत भाग, सरंचना तथा उपयोग।

खण्ड–2 उत्तराखण्ड राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान

प्रश्नों की संख्या : 20 पूर्णांक : 20

1. सामान्य भूगोल – स्थिति एवं विस्तार, संरचना व उच्चावचन, जलवायु, जल प्रवाह प्रणाली, जनांकिकी संरचना, यातायात एवं संचार–तंत्र।
2. **इतिहास–**
   क– प्राचीन काल– निवास करने वाली जाति/प्रजातियां, राजवंश (कुणिन्द, पौरव एवं कत्यूरी)।
   ख– मध्यकाल–उत्तर कत्यूरी, चन्द और पंवार राजवंश।
   ग– आधुनिक काल–गोरखा एवं ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का परिदृश्य।
3. **प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन** – जल, वन, वन्य जीव संरक्षण– पार्क एवं अभयारण्य, खनिज, पशुपालन, कृषि एवं बागवानी।
4. **राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश–** राज्य, जनपद व तहसील स्तर का प्रशासनिक संगठन।
5. **शिक्षा एवं संस्कृति–** उत्तराखण्ड के शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, बोली/भाषा, रीति–रिवाज, उत्सव व मेले।
6. **समाज सुधार आंदोलन–** कुली बेगार, डोला– पालकी एवं वन आंदोलन।
7. **आर्थिक विकास–** जल–विद्युत, औद्योगिक, औद्यानिक एवं पर्यटन तथा औषधि उद्योग संवर्द्धन।
8. **विकासपरक योजनाएं–** अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी योजनाएं।
9. **समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं** ।
10. **खेल कूद एवं मनोरंजन।**

खण्ड–3 सामान्य बुद्धि परीक्षण

प्रश्नों की संख्या : 30 पूर्णांक : 30

शाब्दिक, अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न जिसमें सादृश्यों, निगमालिक तर्क, समानताओं तथा अंतरों, लुप्त वर्ण, अंक और अनुक्रम, स्थानिक कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, दिशाबोध, कूटबद्ध–कूटानुवाद, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण, सांख्यिकी विश्लेषण एवं अंकगणितीय संख्या सारणी आदि से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की सामान्य विचार, तथ्य और अंकों, संकेतों और उनमे संबंध, अंकगणितीय एवं

(K. R. Arya) Member

प्रो० मंजुला राणा सदस्य

(डॉ० डी०पी० जोशी) अध्यक्ष

अतर सिंह
उप सचिव
कार्मिक विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

संख्यात्मक गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक, गणितीय एवं परिमाणात्मक कार्यों से संबंधित योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

खण्ड–4 भाषा

(अ) सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर)

प्रश्नों की संख्या : 20 पूर्णांक : 20

1 पर्यायवाची शब्द
2. विलोम शब्द
3. शब्द–समूहों के लिए एक शब्द
4. उपसर्ग / प्रत्यय
5. तत्सम–तद्‌भव शब्द
6. वर्तनी–शुद्धि
7. वाक्य–शुद्धि
8. समास
9. सन्धि–विच्छेद
10. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ

(ब) सामान्य अंग्रेजी (हाईस्कूल स्तर)

प्रश्नों की संख्या : 10 पूर्णांक : 10

1. Use of Prepositions.
2. One Word substitution.
3. Use of Articles in English.
4. Common errors in English.
5. Idioms.
6. Conversion of one part of speech into another, e.g., Noun to Adjective, and the like.
7. Comprehension of a given passage in English (questions will be asked on the following topics).

A- Synonyms.
B- Antonyms.
C- Hindi translation of a given underlined English Sentence.
D- One more question will be also based on the comprehensive passage.

(K. R. Arya) Member

प्रो० मंजुला राणा सदस्य

(डॉ० डी०पी० जोशी) अध्यक्ष

उप सचिव कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन।

Syllabus for the Screening Test for the Recruitment of (Group 'B') posts (Objective Type)

"GENERAL STUDIES"

Time: 02 hours Number of Questions: 150 Maximum Marks: 150

Note: Paper Setter is expected to set the questions from the entire Syllabus.

SECTION I: GENERAL STUDIES [M.M.:70]

1. **Current events of National and International importance.**
2. **Sports and Entertainment.**
3. **Indian History (ancient, medieval, modern).**
4. **Indian National Movement.**
5. **Indian Geography, Economy and Agriculture.**
6. **Natural Resources, Planning, Sustainable and Inclusive Development.**
7. **Natural Calamities and Disaster Management.**
8. **Human Resource Development Index of India.**
9. **Basic Knowledge of Indian Constitution** - Salient features of Indian Constitution, Fundamental Rights and Duties, Directive Principles of State Policy. **The Union Executive** – The President, Prime Minister, Council of Ministers, **The Union Legislature** – Parliament, **The Judiciary** – Supreme Court and High Court, **State Government and Administration** – Governor, Chief Minister and Council of Ministers, Legislative Assembly, Panchayati Raj Institutions.
10. **Human Rights** – Meaning of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights (1948), Human Rights and Duties in India, National Human Rights Commission.
11. **Various aspects of Rural and Urban Development.**
12. **General Science-** application of Science in day- to - day life.
13. **Development and Environmental Problems-** Main Problems related to development, population growth, environmental pollution, emission of greenhouse gases and measures to overcome the problems. Laws for environmental conservation.

(K. R. Arya)
Member

प्रो० मंजुला राणा
सदस्य

(डॉ० डी०पी० जोशी)
अध्यक्ष

उप सचिव
कार्मिक विभाग

14. **Biotechnology and Health Issues:** Biotechnology, development of vaccines against new diseases, genetically developed plants, regeneration of worn out and dead tissues and human organs, control of pollution using bacteria, biofuel.
15. **Development of Science and Technology In India :**
    A. **Energy and Water Resources:** Energy crisis, energy conservation, conventional energy sources, renewable energy, types of Indian water resources, use and management.
    B. **Information, Communication Technology and Computers:** Development of information and communication technology in India, benefits and adverse effects. Basic components and structure of computer and its uses.

Section II

General Knowledge Related to Uttarakhand State

Number of Questions: 20 **Maximum Marks: 20**

1. **General Geography-** Location and Extent, Structure and Relief, Climate and Drainage systems, Demography, Transport and Communication network.
2. **History-**
   (d)Ancient Period- Inhabiting races and tribal groups, Dynasties (*Kuninda, Paurav* and *Katyuri*).
   (e) Medieval Period – Later *Katyuri, Chand* and *Panwar* dynasties.
   (f) Modern Period- Gorkha and British Period, Post-Independence scenario.
3. **Natural and Economic Resources**- Water, Forest, Minerals, Livestock, Agriculture and Horticulture, Wild-life conservation, Parks and Sanctuaries
4. **Political and Administrative Setup**- Administrative setup at the State, District and Tehsil levels.
5. **Education and Culture**- Educational and Training Institutions, Dialects and Languages, Customs and Traditions, Festivals, and Fairs.
6. **Social Reform Movements** – Coolie *Begar, Dola -palki*, and Forest Movements.

(K. R. Arya)
Member

प्रो० मंजुला राणा
सदस्य

(डॉ० डी०पी० जोशी)
अध्यक्ष

उप सचिव
कार्मिक विभाग
उत्तराखण्ड शासन

7. **Economic Development**- Hydro-electricity, Industry, Horticulture, Tourism, and Herbal Industry development.
8. **Developmental Plans**– Scheduled Castes and Tribal Development planning.
9. **Important Contemporary events.**
10. **Sports and Entertainment.**

Section III: General Intelligence Test

Number of Questions: 30 **Maximum Marks: 30**

Questions of verbal , non-verbal and analytical types, analogies, syllogism, similarities, differences, missing numbers, characters and sequences, space visualization, problem solving, analysis, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, direction sense, coding –decoding, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, data representation and analysis, arithmetical number series. The test would also include questions designed to test the candidates' ability to deal with abstract ideas, facts and figures, symbols and their relationships, arithmetical and numerical computations and other analytical, mathematical and quantitative functions.

Section IV: Language

GENERAL HINDI (High School Level)

Number of Questions: 20 **Maximum Marks: 20**

1. पर्यायवाची शब्द
2. विलोम शब्द
3. शब्द–समूहों के लिए एक शब्द
4. उपसर्ग / प्रत्यय
5. तत्सम–तद्भव शब्द
6. वर्तनी–शुद्धि
7. वाक्य–शुद्धि
8. समास
9. सन्धि–विच्छेद
10. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ

(R. Arya)
Member

प्रो० मंजुला राणा
सदस्य

(डॉ० डी०पी० जोशी)
अध्यक्ष

उप सचिव
कार्मिक विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

GENERAL ENGLISH (High School Level)

Number of Questions: 10 **Maximum Marks: 10**

1. Use of Prepositions.
2. One Word substitution.
3. Use of Articles in English.
4. Common errors in English.
5. Idioms.
6. Conversion of one part of speech into another, e.g., Noun to Adjective, and the like.
7. Comprehension of a given passage in English (questions will be asked on the following topics).

A- Synonyms.

B- Antonyms.

C- Hindi translation of a given underlined English Sentence.

D- One more question will be also based on the comprehensive passage.

(K. R. Arya)
Member

प्रो० मंजुला राणा
सदस्य

(डॉ० डी०पी० जोशी)
अध्यक्ष

अतर सिंह
उप सचिव
कार्मिक विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

परिशिष्ट–2

मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा–2021 के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु अर्हकारी अंक

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन), 2016 (चतुर्थ संशोधन) द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है :–

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित श्रेणी	45%
2	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति श्रेणी	35%

नोट– सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।

परिशिष्ट–3

निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है :–

1) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
2) इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
3) दावित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष उपाधि/प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)
4) अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण–पत्र वांछित प्रारूप पर।
5) आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण–पत्र।
6) शारीरिक मापदण्ड में छूट का दावा किया जाने की दशा में वांछित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र।
7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी को उचित माध्यम द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र (Application) की संबंधित कार्यालय में प्राप्ति (Receipt) की सत्य प्रतिलिपि।
8) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।
9) पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।

“परिशिष्ट–4”

FORMAT

Experience Certificate

Logo of Office (If available)

Name of Deptt./Office :...

Address of Deptt./Office :..

Date of Reg. of Company/Firm/Society/Trust : ....

Telephone No. :...

Website :...

Dated : ....

Ref. No. -

This is to certify that Shri/Smt./Km. .... Son/Daughter/Husband of Shri/Smt.. is/was an employee of this Government/Semi-Government Department/Organization/Institution, Company/Firm/Society/Trust and duties performed by him/her during the period(s) are as under :

Name of the post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting /Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration/Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Worked at supervisory level/middle management level/head of branch or others
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :

Place :

Sign ....

(Name & Signature of Authorized Signatory in Capital Letters)

Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

परिशिष्ट–5

शासनादेश संख्या–256/18–प्रा0शि0–2–88–20/82, दिनांक 16.07.1982 ऊँचाई एवं सीने की नापतौल में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती...ग्राम.......................तहसील/तालुका.................................. जिला...........................राज्य...के स्थायी निवासी हैं।

उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्कमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊँनी, मिजो, नागा के मूल वंश और अरूणाचल प्रदेश, लाहुल एवं स्पिति और मेघालय अभ्यर्थियों हेतु ऊँचाई एवं सीने की मापतौल में छूट दी गयी है।

स्थान................................
दिनांक..............................

हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम

पदनाम

पदनाम की मुहर

नोटः कृपया जो लागू हो उस पर सही (✓) का निशान लगायें।

“परिशिष्ट–6”

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :
मुहर :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथाअथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री उपयंकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम....................................
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी ....
(सील) ....

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या.................................वर्ष...............................हेतु मान्य दिनांक..............................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पत्नी/पुत्री..ग्राम/मुहल्ला.. पोस्ट ऑफिस..जिला..पिन कोड................................. उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.................................की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :–

(I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..जो कि...जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम..
पदनाम..

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

nabisut

परिशिष्ट–7

स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन निम्न नगरों में किया जाएगा–

क्रम सं0	**नगर (जिला)**
1	हल्द्वानी (नैनीताल)
2	हरिद्वार (हरिद्वार)

नोट– उक्त परीक्षा का आयोजन परिशिष्ट–7 के अनुसार हल्द्वानी व हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों पर किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु सीमित संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में उक्त परीक्षा का आयोजन मात्र हरिद्वार नगर में किया जायेगा।